भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 677

 (जिसका उत्‍तर बृहस्‍पतिवार, 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

**उत्‍पाद एवं सेवा कर संबंधी घोषणा**

**677. श्री बीरेन्‍द्र सिंह :-**

क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्‍या 2012-13 के बजट में घोषित की गई उत्‍पाद और सेवा कर में वृद्धि उद्योग का गला नहीं घोट देगी जो निवेश लागत दबाव से जूझ रहे हैं, इस बढ़ो के पीछे क्‍या तर्क है;

(ख) 30 जून, 2012 को समाप्‍त तिमाही में कर वसूली में किस स्‍तर तक वृद्धि हुई;

(ग) 30 जून, 2012 को समाप्‍त तिमाही के दौरान व्‍ययों को नियंत्रित करने के लिए क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्‍या बजट की यह घोषणा कि जीएसटी नेटवर्क जो विवरणियां भरने और अन्‍त: राज्‍य भुगतानों के प्रसंस्‍करण के लिए सहभागी मंच होगा, वह 31 अगस्‍त, 2012 तक तैयार हो जाएगा, वह पूरा होने के करीब है?

**उत्‍त्‍र :**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्‍कम)**

(क) उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर की दरों को बजट 2012-13 में बढ़ा दिया गया था जिससे कि 2008-09 में दिये गये वित्‍तीय प्रोत्‍साहन को आंशिक रूप से वापस (रोल बैंक) लिया जा सके और वित्‍तीय स्थिति को ठीक किया जा सके। औद्योगिक क्रियाक्‍लाप कई कारकों पर निर्भर करता है- जैसे कि अर्थव्‍यवस्‍था में माल की सकल मांग, निर्यात के लिए मांग, ब्‍याज लागत, विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रतिस्‍पर्द्धा का स्‍तर आदि और उनमें से केवल एक पर लगाये गये करों का स्‍तर;

(ख) 30 जून, 2012 को समाप्‍त होने वाली तिमाही के दौरान, पिछले वित्‍तीय वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में, उत्‍पाद शुल्‍क के संग्रहण में 15.6 प्रतिशत की और सेवा कर के संग्रहण में 40.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) व्‍यय विभाग ने 31 मई, 2012 को ‘व्‍यय प्रबंधन संबंधी निर्देश- भारत सरकार में आर्थिक उपाय और व्‍यय का युक्तिसंगतिकरण’ को जारी किया है जिसका कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्‍वयन किया जाना है इनमें शामिल हैं- चालू वित्‍तीय वर्ष में गैर योजना व्‍यय में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती, योजना और गैर योजनागत पदों के सृजन पर पाबंदी, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, धन के पुन: विनियोजन पर प्रतिबंध, राज्‍यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्‍वायत्‍तशासी निकायों इत्‍यादि को अन्‍तरित किये जाने वाले वित्‍त पर सख्‍त निगरानी। सरकार ने एक मध्‍यम आवधिक व्‍यय, संरचना विवरण (मीडियम टर्न एक्‍सपेन्‍डेचर फ्रेम वर्क स्‍टेटमेंट) को लागू करने का भी प्रस्‍ताव किया है जिसके द्वारा व्‍यय सूचकांकों के लिए एक त्रिवर्षीय चक्रण लक्ष्‍य (रोलिंग टारगेट) निर्धारित किया जाएगा जिससे कि प्राथमिकतापरक योजनाओं को संसाधनों का आवंटन करने के लिए नये सिरे से अभ्‍यास किया जा सके और उन योजनाओं को निकाल बाहर किया जाए जिनकी उपयोगिता अब समाप्‍त हो गई। इसके अलावा, सरकार केन्‍द्रीय सब्सिडियों पर आने वाले खर्च को भी सीमित करने के लिए प्रयास कर रही है।

(घ) सरकार ने एक विशेष उद्देशीय वाहन (स्‍पेशल परपज वेहिकिल) की स्‍थापना को अनुमोदित कर दिया है जिसे माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएनएसपीवी) कहा जाएगा जिसमें इसकी स्‍थापना और कार्य पर आने वाले व्‍यय के लिए, इसकी स्‍थापना के बाद से तीन वर्षीय अवधि के लिए, केन्‍द्र सरकार से 315 करोड़ रुपये की गैर आवर्ती सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों की शक्ति प्राप्‍त समिति के साथ विचार विमर्श करके इसकी संस्‍थापना के लिए और आगे कदम उठाये जा रहे हैं।

-----------